

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर
 क्रमांक— ई-18/एम/नियु0/मृआ/2024/ 88 दिनांक— 29-2-24

आदेश

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित आश्रितों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है। परिवीक्षा की कालावधि के दौरान निम्नलिखित मृतक आश्रितोंको राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.17 के द्वारा नियत 14600/- रूपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर कनिष्ठ सहायक का नियमित वेतनमान लेवल इन पे-मेट्रिक्स एल-5 अनुज्ञात किया जावेगा।

क्र. सं.	आश्रित / मृतक कर्मचारी का नाम/पता	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1	श्री जितेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री दीनदयाल शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रामनगर, बस स्टैण्ड, राजगढ़, जिला अलवर।	24.04.1994	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकट, अलवर
2	सुश्री निकिता शर्मा पुत्री स्व. श्री माधवीलता, एएनएम प्लॉट नं. 1, शिव मन्दिर के पास, दाउदपुर फाटक, अलवर।	29.06.1996	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के अधीन
3	श्री नितेश पंचाल पुत्र स्व० श्री गणेशलाल पंचाल, च. श्रे.कर्मचारी मु.पो. सज्जनगढ़, तह सज्जनगढ़, जिला बांसवाडा।	09.12.1997	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा के अधीन
4	श्री गोपाल चौधरी पुत्र स्व० श्री खियाराम चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर-2 गाँव रतनुओं की ढाणी, भीयाड, तह. शिव, बाडमेर-344701	11.11.2000	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर के अधीन
5	श्री तुषार रंगा पुत्र स्व० श्री बृजप्रकाश रंगा, नर्सिंग ट्यूटर2/111 मुरलीधर व्यास नगर, मोसम विभाग, मेन रोड, मास्टर जी एस०टी०डी० पीसीओ, जिला बीकानेर।	20.08.1991	अधीक्षकपी०बी०एम० एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर
6	श्री भानूप्रताप सिंह राठौड पुत्र स्व. श्री महेन्द्र सिंह राठौड, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हरिओम किराना गली, हनुमान मंदिर के पास, सोलंकी टॉकिज रोड, शास्त्री नगर, भीलवाडा।	03.09.2003	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुवाणा, भीलवाडा
7	श्रीमती हेमन्त कुमारी पत्नी स्व० डॉ. विक्रम सिंह, चिकित्सा अधिकारी30 ई, बापूनगर, सेंती, चित्तौडगढ़।	20.01.1984	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जावदा, चित्तौडगढ़
8	सुश्री निशिका कंवर पुत्री स्व. श्री गजेन्द्र सिंह RajKaj Re राजपुत, प्रयोगशाला सहायक शिवाजी नगर, म.नं.842992 3/95 आर.एच.बी. डूंगरपुर।	14.11.2004	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर के अधीन

9	श्रीमती प्रभा जॉगिड पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार जॉगिड, नर्सिंग ऑफिसर प्लाट नं. 124, राधा गोविन्द नगर, आगरा रोड, दौसा।	02.01.1987	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के अधीन
10	श्रीमती लक्ष्मी चॉवरिया पत्नी स्व. श्री सुरेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, म.न. 5, ब्लॉक डी-3, रिजर्व पुलिस लाइन, श्रीगंगानगर।	28.10.1996	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के अधीन
11	श्री पुष्पराज सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौड़, वरिष्ठ सहायक, जवाहर कॉलोनी, नवापादर गढी, बॉसवाडा।	15.08.1999	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर के अधीन
12	श्री एनोस राजेश ईश्वरदान पुत्र स्व. श्रीमती मीना राठौड़, एएनएम प्लाट नं. 98-ए, पटेल नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर।	06.11.1999	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के अधीन
13	श्री नीरज कुमार आर्य पुत्र स्व० श्री दुलीचन्द्र आर्य, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोहल्ला बडावास, वार्ड नं. 29, बानसूर रोड, कोटपुतली जयपुर, 303108.	21.02.1996	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के अधीन
14	श्री राहुल कुमार मीणा पुत्र स्व० श्री विश्राम मीणा, च. श्रे.कर्मचारी ग्राम रामपुरा डूंगरी ढाणी, पोस्ट उदावाला, तह व जिला दौसा।	03.04.2005	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आँधी, जयपुर
15	श्री दिग्विजय सिंह निमोरिया पुत्र स्व. श्री मदनलाल, लैब टैक्नीशियन म.न. 35, न्यू कॉलोनी, मनोहरपुरा, जगतपुरा, जयपुर।	15.12.1992	अधीक्षक, जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर
16	श्री धर्मेन्द्र सिंह सेंगर पुत्र स्व० श्री मानसिंह सेंगर, वार्ड बॉय सेंगरपुरा, तह. व जिला करौली।	09.07.1993	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली के अधीन
17	श्री विवेक व्यास पुत्र स्व. श्री विजय कुमार व्यास, नर्सिंग ऑफिसर पुरोहितों की गली, वार्ड नं. 4, पोकरण, जैसलमेर।	14.09.1999	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के अधीन
18	श्री लोकेश मोरदिया पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र प्रसाद मोरदिया, लैब टैक्नीशियन वार्ड नं. 7, पिक हाउस की गली, फतेहपुर रोड, सीकर।	02.07.1993	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर के अधीन
19	सुश्री सोनाक्षी बेनिवाल पुत्री स्व० श्री सुभाष चन्द्र, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वार्ड नं. 10 गांधीबडी तह. भादरा, जिला-हनुमानगढ।	10.05.1993	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गाँधीबरी, भादरा, हनुमानगढ
20	श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व० श्री श्री शिशुपाल सिंह, वार्ड बॉय वार्ड 16 चैनवाली धर्मशाला, नजदीक पंचपुखी बालाजी मन्दिर, भादरा जिला-हनुमानगढ।	06.03.1996	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छानीबडी, भादरा, हनुमानगढ
21	श्री प्रमोद चौहान पुत्र स्व० श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ सहायक म.न. 421, जिला रोजगार कार्यालय के सामने, इन्दिरा कॉलोनी, नागौर-341001	19.08.1996	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के अधीन
22	श्री त्रिभुवन सिंह सोलंकी पुत्र स्व. श्री महेन्द्र पाल सिंह सोलंकी, कनिष्ठ सहायक वणा का चौक, झीलवाडा, तह. केलवाडा, राजसमन्द।	29.06.2004	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द के अधीन
23	श्रीमती प्रियंका गौड़ पत्नी स्व० डॉ. अश्वनी शर्मा, चिकित्सा अधिकारी 52, इन्द्रा कॉलोनी, मानटाउन बजरिया, सवाई माधोपुर- 322001.	15.01.1984	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर,
24	श्री कमलेश पुत्र स्व० श्री आईदान, वाहन चालक सिविल एयरपोर्ट रोड, पाबूपुरा, जोधपुर।	07.01.1995	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के अधीन

Kaj Ref
5842992

25	श्रीमती मनी पत्नी स्व. श्री शिवा, स्वीपर वार्ड 5, करणपुरा, श्रीगंगानगर।	15.05.1995	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के अधीन
26	श्री प्रदीप मईडा पुत्र स्व. श्री कानजी, च.श्रे. कर्मचारीखेर डाबरा, माही डेम, जिला बॉसवाडा।	05.06.1998	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा के अधीन
27	श्रीमती मोना कुमारी पत्नी स्व० श्री निरोज कुमार, वरिष्ठ सहायक वार्ड 6, ग्राम भदवासी, तह. व जिला सीकर।	26.08.1993	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर के अधीन
28	श्री रोहित कुमार साद पुत्र स्व० श्री देवचन्द साद, वार्ड बॉय मु.पो. थाणा, तह. व जिला डूंगरपुर।	03.01.1990	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर, के अधीन
29	सुश्री महिमा पास्कल पुत्री श्रीमती मंजुलता रिजोनिया, ए.एन.एम. निवासी 2 बी 16, विश्वकर्मा कॉलोनी, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर।	09.05.1995	अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
30	श्री मितेश कुमावत पुत्र स्व० श्री रघुनाथ कुमावत, वार्ड बॉय, बोहरो का बॉस, वार्ड नं. 12, सांभरलेक, जयपुर।	30.03.1999	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांभर लेक, जयपुर
31	श्री हिम्मत सिंह पुत्र स्व० श्री प्रेम सिंह, वार्ड बॉय, निवासी सिलारिया, पोस्ट ढेहरी, तह. जायल, नागौर।	06.06.1995	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के अधीन
32	श्री दिनेश कुमार बिश्नोई पुत्र स्व० श्री जुगराज राम बिश्नोई, ड्राईवर, सावलनगर, लोहावट, जोधपुर।	07.08.1998	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के अधीन
33	श्री अविनाश कुमार यादव पुत्र स्व० डॉ. बच्चनलाल यादव, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सुकेत, रामगंजमण्डी, कोटा।	13.10.1997	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के अधीन
34	श्री दीपक कडेल पुत्र स्व० श्री मधुसुदन, वाहन चालक मेघवालो का बास, आसोप, जोधपुर।	13.10.1994	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के अधीन
35	श्रीमती कृष्णा पंवार पत्नी स्व. श्री अजय सिंह पंवार, वरिष्ठ सहायक 301/ए पुखराज लाइफ स्टाइल कोटा जीम के सामने स्टेशन रोड, कोटा-324001.	12.10.1975	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन कोटा
36	श्री अग्निवेश पुत्र स्व० श्रीमती राजबाला, एएनएम गाँव सुलखनिया छोटा, तह. राजगढ, जिला चूरु।	10.07.1998	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू के अधीन.
37	श्रीमती लक्ष्मी कुमावत पत्नी स्व० डॉ. जगदीश प्रसाद कुमावत, उप निदेशक 70 गली कारीगरान, मेहन्दी बाग, टोंक।	04.11.1975	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के अधीन.
38	श्री अनिल सिंह पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र सिंह, च.श्रे. कर्मचारी निवासी सेंगरपुरा, तह. व जिला करौली।	14.06.2002	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली के अधीन
39	श्री भरत सिंह राठौड पुत्र स्व० श्री अर्जुन सिंह राठौड, सीनियर नर्सिंग आफिसर, श्रीपालनगर, तह. सुमेरपुर, पाली।	21.07.1994	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर
40	श्रीमती विनोद कुमारी पत्नी स्व. श्री राकेश कुमार, लैब सहायक मुख्य बाजार के पास, चौपाल के पास, गाँव इस्लामपुर, झुन्झुनू	04.08.1981	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू के अधीन
41	श्रीमती चित्रा शर्मा पत्नी स्व. डॉ. नरेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ई.एन.टी.) हाथी घटा पेट्रोल पंप के सामने, करौली।	09.07.1990	सामान्य चिकित्सालय, करौली

RajKaj Ref

42	श्री गिरीश कुमार गुर्जर पुत्र स्व० श्रीमती आशा गुर्जर, ग्राम व पोस्ट हिसामडा, तह. वैर, भरतपुर।	15.11.1991	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन-भरतपुर,
43	सुश्री निलिमा सिंह पुत्री स्व. श्री करतार सिंह, नर्स प्रथम पितृविला, इन्द्रा कॉलोनी, मीरशाह अली कॉलोनी, वार्ड नं. 48, अजमेर।	24.03.2000	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के अधीन
44	श्री अमित यादव पुत्र स्व. श्रीमती कविता, एएनएम वार्ड नं. 46, सैनी नगर, फ्रेंड्स होटल के पीछे, जयपुर रोड, सीकर	06.10.1996	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर के अधीन
45	श्री हरमनप्रीत सिंह पुत्र स्व. श्रीमती जसविंदर कौर, एएनएम म.न. 2498 बाघावाला खुह, जण्डयाला गुरु अमृतसर, पंजाब।	09.01.1996	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के अधीन
46	श्रीमती सविता कुमारी पत्नी स्व. श्री संजय कुमार, नर्स-2 कालेरा का बास, जैतपुरा, मलसीसर, झुन्डुनू।	14.03.1989	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्डुनू के अधीन
47	श्रीमती सुशीला अग्रवाल पत्नी स्व. श्री विनोद कुमार अग्रवाल, वार्ड बॉय वार्ड बॉय, जी-37, पीडब्ल्यूडी क्वार्टर, पुलिस लाईन, अजमेर।	15.12.1985	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के अधीन
48	श्रीमती समीक्षा मेव पत्नी स्व. डॉ. सुभाष मेहरडा, कनिष्ठ विशेषज्ञ मनोरोग ग्राम दलाली, पो. हरदयालपुरा, वाया पिपराली, सीकर	10.10.1995	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर के अधीन
49	श्री सिद्धार्थ सकरिया पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार, नर्सिंग ऑफिसर क्यू-11, शिवाजी नगर, एलआईसी ऑफिस के सामने, जालोर	06.07.2004	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर के अधीन
50	श्री अमर सिंह चौहान पुत्र स्व. श्रीमती फतेह कंवर, एएनएम म.न. ए-193, गिरराज विहार, लालपुरा, जयपुर।	12.06.1998	अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर
51	श्री राजकुमार परमार पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीराम परमार, स.प्रशा.अधिकारी मुकाम पोस्ट चिकली, तहसील आनन्दपुरी, बॉसवाडा।	01.08.1984	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा के अधीन
52	श्री आदित्य पंचोली पुत्र स्व. श्रीमती उषा पंचोली, एएनएम 105-सी, जवाहर कॉलोनी, झालावाड़।	11.02.1985	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प्र.क.) झालावाड़
53	श्री मोहित कुमार पुत्र स्व. श्री नन्दकिशोर, वार्ड बॉय म.न. 7ए, ब्रह्मणी माता मंदिर के पास वाली गली, कच्ची बस्ती, दोस्तपुरा, कोटा।	14.02.1995	अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत मृतक आश्रित के रूप में नवनियुक्त उक्त आश्रितों को सरकारी सेवा में नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अपनी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आवेदकों का संबंधित अधिकारी नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं प्रागवृत्ति सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवायें, परन्तु नियुक्ति में प्रथम उपस्थिति के समय राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 17 के अन्तर्गत अपने चरित्र के संबंध में उस विद्यालय का जिसमें अंतिम शिक्षा पायी है, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा साथ में दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो विद्यालय से संबंधित न हो और न कोई रिश्तेदार हो। इनके द्वारा कार्यग्रहण करते समय सम्बन्धित अधिकारी को अपनी जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगे। (कार्मिक का नाम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एवं मृतक का

नाम सेवा पुस्तिका के आधार पर) जिसकी जांच एवं संतुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारी इन्हें कर्तव्य पर लेंगे। मृतक आश्रित आवेदक द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से आवश्यक रूप से करवाये। तथा आपके कार्यालय के अधीन पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण ना कराते हुए पदस्थापन स्थान में संशोधन हेतु निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अध्ययधीन पेंशन नियम लागू होंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प05(51)/कार्मिक/क-2/88 दिनांक 27.02.2001 के अन्तर्गत उपरोक्त मृतक आश्रित अपने पारिवारिक सदस्यों का उचित तौर पर भरण-पोषण करेंगे। नियुक्ति के पश्चात किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो शासन की इस अधिसूचना के अन्तर्गत इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प05(51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट दिनांक 21.09.10 के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति पश्चात एक वर्ष के भीतर परिपत्र क्रमांक एफ07(2)कार्मिक/क-2/06 दिनांक 05.07.10 में वर्णितानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.3(1)डीओपी/ए-2/2013 दिनांक 02.01.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत विधवा को टंकण परीक्षा/कम्प्यूटर प्रशिक्षण से मुक्त रखा गया।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत स्थायीकरण हकदारी हेतु/वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के संदर्भ में 2 वर्ष के परिवीक्षा काल में ही टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि दो वर्ष में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जाती है तो आगामी एक वर्ष परिवीक्षा काल बढ़ाया जा सकेगा जिससे बढी हुई अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। ऐसा न होने पर नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किये जाने पर विभाग/संबंधित अधिकारी के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकेगा। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ (51) डीओपी/ए-2 88 पार्ट दिनांक 14.06.2013 के अनुसार मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति विधवा को टंकण परीक्षा से छूट दी जाती है।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

उक्त आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के क्रम में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक सामुहिक चिकित्सालय संघ/आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में गलत तथ्य या विसंगति पाई गई तो यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश उस संबंधित आवेदन की सीमा तक प्रारम्भ से ही शून्य होगी

आश्रित को नियुक्ति दिये जाने का इन्द्राज मृतक की सेवा पुस्तिका में करें। इन्हें नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक है; अन्यथा इस अवधि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। इनके मूल आवेदन पत्रादि सम्बन्धित को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखा जायेगा।

Rajraj Keer
5842992

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के परिपत्र/ज्ञापन क्रमांक एफ1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 क्रमांक एफ.16(2)एफडी/नियम/98 दिनांक 13.03.2006 क्रमांक एफ.

12(6) एफडी/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 एवं कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.(1) कार्मिक/(क-2)/2016 दिनांक 15.07.2016 के प्रावधानों से शासित होगी।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर

क्रमांक- ई-18/एम/नियु0/मृआ/2024/88

दिनांक:- 29-2-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राज0 जयपुर।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
- 3- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर।
- 4- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
- 5- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
- 6- अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित)/संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित), अति0 निदेशक (प0क0),/उप निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, निदेशालय मुख्यालय।
- 7- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन।
- 8- संबंधित अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह...../मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी...../जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी...../अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी...../प्रमुख चिकित्सा अधिकारी...../जिला क्षय निवारण केन्द्र...../अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(प0क0)/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु0स्वा0 केन्द्र...../खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी...../प्रभारी अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र..... को भेजकर लेख है कि संबंधित मृतक आश्रित का पुलिस वैरीफिकेशन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराये।

नोट:-सम्बन्धित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं (रजिस्टर्ड पत्र)

- 9- प्रभारी, सामान्य अनुभाग अराजपत्रित, मुख्यालय।
- 10- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
- 11- संबंधित मृतक आश्रित को घर के पते पर।
- 12- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर

RajKaj Ref
5842992

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <ra@rakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 29-02-2024 12:09:57